

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(13)पीएस/निकाशि/15/230

दिनांक : 28-6-19

विज्ञप्ति

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक एफ1(13)पीएस/निकाशि/15/1549 दिनांक 22.10.18 द्वारा दिनांक 01.04.16 को कार्यरत चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों, जो सीनियर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा एवं निर्धारित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, की संशोधित अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। दिनांक 01.04.17 को कार्यरत लिपिक ग्रेड-द्वितीय पद पर पदोन्नति की उक्त पात्रता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन संलग्न परिशिष्टानुसार किया जा रहा है।

दी राजस्थान सबोर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स, 1999 के नियम 6 एवं शिडयूल प्रथम की बिन्दु संख्या 10 में कार्मिक (क-गुप-II) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए II/2006 दिनांक 05.12.12 द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि कनिष्ठ लिपिकों के 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जावें जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क0ऑ0प्र0स0)/डाटा प्रेपेरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा0प्र0क0स0) प्रमाणपत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कापोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा0रा0सू0प्र0पा0) तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पद का 5 वर्ष अनुभव रखते हो। चतुर्थ श्रेणी वर्ग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दफ्तरी, जमादार, बुकलिफ्टर, फर्शिश, गार्डनर, एनिमल केचर और प्रयोगशाला वाहक आते है।


वरिष्ठता निर्धारण हेतु संबंधित व्यक्तियों की प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति तिथि एक ही है, वहाँ उनकी जन्मतिथि को आधार मानकर ऐसे व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

जो व्यक्ति वरिष्ठता निर्धारण से पीडित हो वे अपना अभ्यावेदन प्राचार्य के माध्यम से पुष्ट प्रमाणों सहित इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अवश्य भिजवा देवें अन्यथा उक्त अवधि उपरान्त उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

दिनांक 31.03.17 तक यदि किसी कर्मचारी ने निर्धारित योग्यता प्राप्त कर ली हो, और उसका नाम संलग्न सूची में अंकित नहीं है। वह निम्नलिखित प्राफोर्मा में अपनी सूचना प्राचार्य के माध्यम से भिजवाये ताकि उनका नाम भी वरिष्ठता सूची में जोड़ लिया जायें :-


क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पद	जन्मतिथि	अ.जा./अ.ज. जा./ओ.बी. सी./सामान्य	योग्यताएँ (शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर संबंधी)	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक एवं पद	वर्तमान पद पर नियुक्ति / पदोन्नति का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
					4		

उक्त सूचना भिजवाने के साथ ही प्रथम नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका एवं कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति सहित 15 दिवस के भीतर आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवाये।


 संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रेषित करते हुए लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 01.04.17 को कार्यरत जिन पद धारकों की वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है उसमें उनके महाविद्यालय में कार्यरत किसी ऐसे कर्मचारी का नाम तो नहीं रह गया है जिसने दिनांक 31.03.17 तक निर्धारित योग्यता प्राप्त कर ली हो। यदि ऐसा कोई मामला हो तो उसका नाम व पूर्ण विवरण आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित इस कार्यालय को भिजवायें। इस सूची में अंकित आपके महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी वर्ग कर्मचारी को फोटो कॉपी करवा कर देवे तथा प्राप्ति की रसीद अपने रिकार्ड में रख लें।
2. स्थापना शाखा।
3. वेबसाईट प्रभारी- कृपया वरिष्ठता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

दिनांक 1-4-2017 को कार्यरत कनिष्ठ सहायक पद की पदोन्नति की योग्यता रखने वाले च0श्रे0 वर्ग के कर्मचारियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (वर्ग सहित)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	राजकीय सेवा में च0श्रे0 वर्ग के पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक एवं पद का नाम
1	श्री मांगी लाल (ओ.बी.सी.)	प्र.शा.वा.	राज. कन्या महा., बीकानेर	07.06.64	सी.सै., 16	RSCIT (15.1.15)	2.7.81 (चौकीदार)
2	श्री पूरण राम (अ.जा.)	च.श्रे. कर्म.	राज. कला महा., अलवर	10.1.61	बी.ए., 92	RSCIT (5.8.16)	16.2.82 (च.श्रे. कर्म.)
3	श्री नन्द किशोर स्वामी (अ.जा.)	च.श्रे. कर्म.	राज. महा., सीकर	22.6.57	हा.सै., 78	RSCIT (7.6.16)	4.7.83 (च.श्रे. कर्म.)
4	श्री रमेश चन्द चौधरी	बु.लि.	राज. कन्या महा., उदयपुर	8.8.66	एम.ए., 94	RSCIT (25.2.17)	1.1.85 (बेलदार पद पर अर्द्ध स्थायी)
5	श्री बालू राम रैगर (अ.जा.)	बु.लि.	राज. महा., देवली	20.6.66	सी.सै., 16	RSCIT (5.2.16)	29.10.87 (च.श्रे. कर्म.)
6	श्री फिरोज मोहम्मद डायर	दफ्तरी	राज. महा., नाथद्वारा	1.7.68	सी.सै., 16	RSCIT (4.9.12)	8.11.88 (च.श्रे. कर्म.)
7	श्री चिमनलाल (अ.जा.)	प्र.शा.वा.	राज. महा., बीकानेर	12.6.67	एम.ए., 98	RSCIT (10.3.17)	26.2.92 (प्र.शा.वा.)
8	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	च.श्रे.कर्म.	राज. कन्या महा., चित्तौड़	15.08.74	बी.ए., 05	RSCIT (12.11.09)	02.06.94 (चौकीदार पद पर अर्द्धस्थायी)
9	श्री लक्ष्मण सिंह	च.श्रे.कर्म.	राज. विधि महा., धोलपुर	10.7.76	बी.ए.पी., 16	RSCIT (15.3.17)	26.8.94 (च.श्रे. कर्म.)
10	श्री मनोज सिंह	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., टोंक	5.7.69	सी.सै., 16	RSCIT (5.8.16)	1.12.95 (च.श्रे. कर्म.)
11	श्री गणेश नारायण गुर्जर (ओ.बी.सी.)	प्र.शा. वा.	राज. महा., नीमकाथाना	02.07.1972	बी.ए., 97	RSCIT (1.10.15)	15.02.96 (विभाग में स्वेच्छा से स्थानांतरण पर च.श्रे.कर्म. पद पर कार्यग्रहण)
12	श्री शांति लाल मेघवाल (अ.जा.)	च.श्रे.कर्म.	राज. कन्या महा., चित्तौड़	8.8.71	सी.सै., 14	RSCIT (5.8.16)	11.3.96 (च.श्रे. कर्म.)
13	श्री गणपत लाल जाट (ओ.बी.सी.)	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., केकडी	01.07.1969	हा.सै., 86	RSCIT (5.2.16)	18.05.96 (च.श्रे.कर्म.)
14	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., केकडी	7.11.69	सी.सै., 16	RSCIT (4.9.12)	18.05.96 (च.श्रे.कर्म.)
15	श्री सुदर्शन गुप्ता (अ.जा.)	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., अजमेर	27.10.1967	सी.सै., 90	RSCIT (5.2.16)	24.06.96 (च.श्रे.कर्म.)
16	श्री लाल चन्द रैगर (अ.जा.)	च.श्रे.कर्म.	राज. कन्या महा., कोटा	18.9.61	हा.सै., 80	RSCIT (30.4.16)	5.7.96 (च.श्रे.कर्म.)
17	श्री चौथा राम (अ.जा.)	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., जायल	20.10.1966	बी.ए., 2000	RSCIT (5.2.16)	19.12.96 (च.श्रे.कर्म.)
18	श्री गिराज प्रसाद शर्मा	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., लालसोट	21.07.1976	सी.सै., 14	RSCIT (5.2.16)	01.04.98 (केटल गार्ड पद पर अर्द्धस्थायी)
19	श्री कुलदीप सिंह	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., मालपुरा	02.02.1980	सी.सै., 15	RSCIT (5.2.16)	07.08.99 (च.श्रे.कर्म.)
20	श्री निर्मल सिंह गुर्जर	च.श्रे.कर्म.	राज. महा., धोलपुर	6.10.80	बी.ए.पी., 16	RSCIT (13.10.16)	18.5.01 (च.श्रे.कर्म.)
21	श्री घनश्याम मीणा (अ.ज.जा.)	प्र.शा.वा.	राज. महा., कोटा	30.07.1970	एम.ए., 08	RSCIT (5.2.16)	13.12.01 (प्र.शा.वा.)

22	श्री खुशियाल चन्द	च.श्रै.कर्म.	राज. कन्या महा, नागौर	11.10.1971	सी.सै., 14	RSCIT (1.10.15)	15.01.02 (च.श्रै.कर्म.)
23	श्रीमती सविता देवी (ओ.बी.सी.)	च.श्रै.कर्म.	राज. महा, बीबीरानी	2.6.70	सी.सै., 16	RSCIT (15.1.15)	1.6.09 (च.श्रै.कर्म.)
24	श्री दीपक कुर्दिया (अ.जा.)	च.श्रै.कर्म.	राज. महा., ब्यावर	9.8.93	सी.सै., 15	RSCIT (22.7.16)	27.4.12 (च.श्रै.कर्म.)
25	श्री द्वारका प्रसाद शर्मा	च.श्रै.कर्म.	राजस्थान स्कूल आफ आर्ट, जयपुर	1.7.70	एम.ए., 93	RSCIT (28.6.16)	21.5.14 (च.श्रै.कर्म.)

कृष्ण
28/6/19

संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।